।कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

F 14 ( ) Road 2016/FCA/PCCF / CCF-EDS-II Jaipur Dated 3.8.2017

मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्ताव सवाई माधोपुर से शिवपुरी स्टेट हाइवे संख्या 30 के चौडा करने, गुणवत्ता बढाने एवं पुर्ननिर्माण हेतु 6.86 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. **FP/RJ/ROAD/16889/2015** में क्षैत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय) लखनउ भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना के क्रम में पालना प्रस्तुत की गई है। पालना का परीक्षण किये जाने पर टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. बिन्दु संख्या 1 की सूचना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न कर दी गई है।
2. बिन्दु संख्या 2 की सूचना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में राशि जमा एवं गैर वन भूमि दिया जाकर पालना वन विभाग में देना अवगत कराया गया है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा एक प्रस्ताव संख्या 6954 में राशि जमा होना अभी बकाया बताया है। उक्त में पालना क्यो नही हुई अवगत कराया जाना अपेक्षित है।
3. बिन्दु संख्या 3 में यूजर ऐजेन्सी द्वारा DGPS map संशोधित कर पुनः संलग्न किये गये है किन्तु उन पर प्रोजेक्ट का नाम, प्रभावित वन/गैर वन भूमि का क्षैत्रफल आदि अंकित नही है हार्ड प्रति A-2 size में दी जानी प्रस्तावित है।
4. बिन्दु संख्या 4 में सूचना संशोधित कर दी गई है।
5. बिन्दु संख्या 5 में संलग्न की गई DPR copy में प्रस्ताव के चेनऐज आदि के विवरण मिलान नही कर रहे है अनुमोदित DPR copy संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
6. बिन्दु संख्या 6 में उप वन संरक्षक द्वारा स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
7. बिन्दु संख्या 7 में उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की विस्तृत योजना संलग्न कर दी गई है।
8. बिन्दु संख्या 8 में यूजर ऐजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की KML file को संशोधित कर पुनः संलग्न कर दी गई है।
9. बिन्दु संख्या 9 में उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित भूमि की विधिक स्थिति आरक्षित वन बताया है जबकि मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में आरक्षित वन के साथ साथ अभ्यारण्य क्षैत्र एवं क्रान्तिक बाघ आवास (Critical Tiger Habitat) होना अवगत कराया गया है दोनो की विधिक स्थिति में अन्तर है जिसे दूर किया जाना प्रस्तावित है।
10. बिन्दु संख्या 10 में CD (KML file for diverted forest land and non- forest land) संलग्न नही की गई है।
11. **उक्त सभी बिन्दुओ में जो ऑनलाईन संशोधन हुआ है उनकी हार्ड प्रति तीन प्रतियों मय हस्ताक्षर (नाम, पदनाम एवं दिनांक) सहित इस कार्यालय में भिजवाया जाना अपेक्षित है।**

अतः प्रस्ताव में उपरोक्त सूचना भिजवाये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर को निर्देशित किया जाता है।

(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR